कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:- 10.12.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त राजअली को तेजाब हमला से चोट पहुँचाने से सम्बन्धित प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 81/2014 धारा 326 (ख) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजअली पुत्र जलील अहमद निवासी सी0 के0 65/298 बड़ी पियरी थाना चौक जनपद वाराणसी को थाना-कोतवाली पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 10.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय ए०एस0जे0-14 जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 326 (ख) भादवि में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी